प्रेस नोट **दिनांक 27.07.2026**

🔥ऑपरेशन दहन” 🔥के तहत बड़ी कार्यवाही — 08 अभियोगों से संबंधित कुल 3327.684 किग्रा0 (अवैध गांजा-3311.39, चरस-16.274 किग्रा, डायजापाम-0.02 किग्रा) अवैध मादक पदार्थ जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 करोड़ 96 लाख 54 हजार अवैध मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण-

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री सुनील कुमार सिंह (अध्यक्ष उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी) व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर (अध्यक्ष जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी सदस्य उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी) के निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार की मौजूदगी में विभिन्न थानों पर अवैध मादक पदार्थों के संबंधित पंजीकृत अभियोग से संबंधित माल के निस्तारण हेतु मा० न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में गठित उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी व जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों के निस्तारण की कार्यवाही करायी गयी।

उक्त अभियान के क्रम में दिनांक 24.07.2026 को मा० न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा जनपद मऊ के विभिन्न थानों पर पंजीकृत कुल 08 अभियोगों (थाना कोतवाली नगर 04अभियोंग, थाना घोसी 02 अभियोंग , थाना दक्षिण टोला 01अभियोंग , थाना कोपागंज 01 अभियोंग) से संबंधित जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थों का नियमानुसार विनिष्टीकरण कराया गया।

यह कार्यवाही जनपद आजमगढ़ में मेसर्स सिलिकॉन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, भादो, माहुल, मार्टीनगंज थाना क्षेत्र दीदारगंज जनपद आजमगढ़ में स्थित उद्योग में स्थापित/संचालित इंसीनिरेटर/ब्वायलर के माध्यम से निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराई गई।

विनिष्ट किए गए माल का विवरण-

गांजाः-, **अवैध गांजा-3311.39**, कुल मूल्य- 16 करोड़ 55 लाख 69 हजार 05 सौ रुपये।

चरस - **चरस-16.274 किग्रा** कुल मूल्य- 40 लाख 68 हजार 05 सौ रुपये

डायजापाम - **डायजापाम- 0.02 किग्रा** (40 गोली) कुल मूल्य- 16 हजार रुपये।

कुल मूल्यः-**16 करोड़ 96 लाख 54 हजार**

कुल 08 अभियोगों में विनिष्ट मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत – 16 करोड़ 96 लाख 54 हजार

मऊ **पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध यह कार्यवाही जनपद को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 27.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 37 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 510 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 07 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेस नोट

27/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. रामपूजन चौहान पुत्र स्व भेदन निवासी पांजेपार थाना घोसी 2. रामकेवल पुत्र स्व सीताराम ग्राम भौपौरा थाना घोसी जनपद मऊ
2. थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रमायन पुत्र राजवंशी निवासी मयारी कल्याणपुर थाना रामपुर जनपद मऊको गिरफ्तार का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना घोसी साइबर पुलिस द्वारा पीडित की फ्रॉड हुए कुल धनराशि 5500 -/(पांच हजार) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व प्रभारी निरीक्षक घोसी के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित अमन पुत्र अंशुमान निवासी बनाफा थाना घोसी जनपद मऊ की कुल धनराशि 5500/- अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना घोसी में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 5500 /- रुपये वापस कराया गया।

थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस द्वारा पीडित की फ्रॉड हुए कुल धनराशि 37000-/ (सैतिस हजार) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक सरायलखन्सी के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडिता **1.** ज्योति यादव पुत्री बलवीर, निवासी रस्तीपुर, थाना सरायलखन्सी, मऊ की कुल धनराशि 35000/- तथा, **2.** दिपाली मिश्रा पुत्री रवि कान्त निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की कुल धनराशि 2000/- अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना सरायलखन्सी में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 37000 /- रुपये वापस कराया गया।

शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से 01अदद चोरी का लैपटॉप बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 27.07.2026 द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बैरासी मोड़ के पास से मु0अ0स0 314/26 धारा 305, बीएनएस से संबंधित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी कसारा के कब्जे से 01 अदद चोरी का लैपटॉप बरामद कर गिरफ्तार उक्त प्रकरण में गिफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राकेश यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी कसारा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 314/26 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. 01 अदद चोरी का लैपटॉप।